पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या –7273/2018

= =

रविकांत प्रियदर्शी, पिता– स्व0 रघुनाथ प्रसाद, पता– ग्राम– वीर कुंबर सिंह, गौतमनगर जनता रोड, थाना– गर्दनीबाग, जिला– पटना।

... ...याचिकाकर्ता

बनाम्

1. बिहार राज्य सचिव, गृह विभाग पुराना सचिवालय, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना।
3. महानिदेशक (सतर्कता) अन्वेषण ब्यूरो पटना।
4. पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना।

... ...प्रत्यर्थी

= =

उपस्थितः

अपीलार्थी की ओर से : श्री लाल बहादूर सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से : श्री राघवानन्द, जीए–11

श्री प्रतिक कुमार, एसी से जीए–11

सतकर्ता के लिए : श्री अरविन्द कुमार, विशेष लोक अभियोजन

= =

सेवा कानून—करुणामय नियुक्ति—पिता की मृत्यु के बाद, पुत्र ने करुणामय नियुक्ति के लिए आवेदन किया—याचिकाकर्ता का दावा संबंधित अधिकारियों द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि वह दूसरी पत्नी का पुत्र है—कार्यकारी प्राधिकरण इस माननीय न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा पारित न्यायिक आदेश की अनदेखी नहीं कर सकता जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दूसरी पत्नी के बच्चों को करुणामय नियुक्ति पर विचार किया जाना चाहिए —रिट याचिका को निर्देश के साथ निपटाया गया। **(पैरा 4, 6)**

2019 (3) बीएलजे 347—निर्भर किया गया ।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

= =

समक्षः माननीय न्यायमूर्ति श्री डॉ0 अंशुमान
मौखिक निर्णय
दिनांक–02–07–2024

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अधिवक्ता तथा सतर्कता विभाग के विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया।

2. वर्तमान रिट याचिका ज्ञापन संख्या 67/350/96/पी–3 दिनांक 24.01.2018 में निहित आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि याचिकाकर्ता दूसरी पत्नी का पुत्र है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस संबंध में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड बनाम चन्द्रशेखर पासवान के मामले में माननीय न्यायालय का पूर्ण पीठ का निर्णय 2019 (3) बी.एल.जे. पृष्ठ–347 में दर्ज है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनुकंपा नियुक्ति पर दूसरी पत्नी के बच्चों पर विचार किया जाना चाहिए।

4. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने रिट याचिका का विरोध किया तथा कहा कि प्रति–शपथ–पत्र दाखिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रति–शपथ–पत्र में राज्य द्वारा स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता के पिता सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो, पटना में उप–निरीक्षक के पद पर पदस्थापित थे तथा सेवा अवधि के दौरान 29.10.2006 को उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय रघुनाथ प्रसाद की मृत्यु के पश्चात याचिकाकर्ता ने सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के समक्ष एक अभ्यावेदन दाखिल किया, जिसे पत्र संख्या 5176 दिनांक 22.08.2017 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु आई.जी. मुख्यालय को अग्रेषित किया गया, जो अनुलग्नक–पी/4 है।

5. प्रस्तुत किए गए तर्कों के आलोक में, इस न्यायालय को यह पता चला है कि कार्यकारी प्राधिकारी इस माननीय न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा पारित न्यायिक आदेश की अनदेखी नहीं कर सकते। इस न्यायालय को यह पता चला है कि माननीय पूर्ण पीठ ने निर्णय के पैराग्राफ–60 में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित आदेश दिए हैं :–

> *"हमारा मानना है कि 23.06.2005 के उपरोक्त परिपत्र को पूरी तरह से रद्द नहीं किया जाना चाहिए था। हमारा यह भी*

मानना है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को उस पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने का कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता था, जिसके लिए वह हकदार है। विद्वान एकल न्यायाधीश को परिपत्र को इस हद तक रद्द कर देना चाहिए था कि दूसरी पत्नी के बच्चों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने से रोक दिया गया था। इसी तरह, प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने का निर्देश जारी करने के बजाय, विद्वान एकल न्यायाधीश को प्रतिवादियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश देना चाहिए था क्योंकि कानून में यह अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भर्ती का स्रोत नहीं है। यह सामान्य नियम का अपवाद है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार में अभाव और दरिद्रता को रोकना है। योजना के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है, जिसे प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाना चाहिए कि क्या आवेदक को वित्तीय आवश्यकता और अन्य आवश्यकताओं सहित योजना की सभी शर्तों की आवश्यकता है।

6. माननीय पूर्ण पीठ द्वारा पारित आदेश के आलोक में, इस न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट है कि इस याचिका में आरोपित अनुलग्नक–पी5 कानून की दृष्टि में टिकने योग्य नहीं है। इसलिए, इसे रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ता को इस आदेश के साथ तीस दिनों के भीतर संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रतिनिधित्व करने का निर्देश दिया जाता है और प्रतिवादी संख्या 2, पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति प्राप्त होने/पेश होने की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर पूर्ण पीठ में निर्धारित सिद्धांतों का पालन करते हुए याचिकाकर्ता के मामले में निर्णय लें।

7. इस निर्देश के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(डॉ0 अंशुमान, न्यायमूर्ति)

एम.के.आर./–

खंडन (डिस्क्लेमर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।